

लखनऊ, बुधवार 26 अगस्त, 2026

voiceoflucknow@gmail.com

यात्री राहत योजना बनी दुर्घटना पीड़ितों का सहारा

बस हादसों में पीड़ितों का सहारा बनी योगी सरकार की यात्री राहत योजना, 9 साल में 17.33 करोड़ की मदद

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्रियों और अन्य प्रभावित लोगों को आर्थिक सहारा देने के लिए संचालित यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मदद का माध्यम बनी है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच मृत्यु और घायल होने के कुल 342 मामलों में 17.33 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है।

योजना के तहत वर्ष 2017 से पहले उपलब्ध दो वर्षों 2015-16 और 2016-17 में मृत्यु के आठ मामलों में 40 लाख रुपये की सहायता दी गई थी।इसके बाद वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक नौ वर्षों में मृत्यु के 322 मामलों में करीब 17.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं घायल



- योगी सरकार ने नौ वर्षों में 17.33 करोड़ रुपये की सहायता दी**
- मृतकों के आश्रितों और घायलों को मिला लाभ, अब राहगीरों को भी मिलेगा लाभ**

यात्रियों के 20 मामलों में 24.37 लाख रुपये की सहायता दी गई। वर्ष 2017-18 से 2025-26 के दौरान मृतकों के आश्रितों को लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इस अवधि में सबसे अधिक वर्ष 2019-20 में

78 मृत्यु मामलों में करीब 3.68 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। वर्ष 2021-22 में 48 मामलों में लगभग 2.37 करोड़ रुपये, 2017-18 में 42 मामलों में करीब 2.10 करोड़ रुपये, 2023-24 में 32 मामलों में 1.85 करोड़ रुपये और 2025-26 में 27 मामलों में 1.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गंवाये या घायल होने वाले लोगों और उनके परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत

मेट्रो

उपलब्ध कराने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चालकों, कर्मचारियों और बसों के ब्रेड्े की नियमित निगरानी की जा रही है। योजना के नए प्रावधानों में दुर्घटना में मृत्यु होने पर राहत राशि बढ़ाई गई है। वयस्क यात्री की मृत्यु पर 7.50 लाख रुपये, आधा टिकट लेने वाले बच्चे की मृत्यु पर 3.75 लाख रुपये और परिवहन निगम के नियमों के तहत निशुल्क यात्रा करने वाले छोटे बच्चे की मृत्यु पर करीब 1.87 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।इससे अधिकारियों के अनुसार सड़क दुर्घटना में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बस दुर्घटना में घायल होने वाले यात्रियों के लिए भी योजना में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। सामान्य रूप से घायल होने पर

उपचार के लिए 10 हजार रुपये तक और गंभीर रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये तक की अग्रिम सहायता संबंधित अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। यदि प्रारंभिक सहायता के बाद उपचार पर अधिक खर्च आता है तो चिकित्सकीय उपचार के प्रमाणित बिल और संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी स्वास्थ्य लाभ प्रमाणपत्र के आधार पर आगे की सहायता की प्रक्रिया पूरी की जाती है। योजना के मूल प्रावधानों के तहत सामान्य चोट के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये, गंभीर चोट के लिए एक लाख रुपये और अति गंभीर चोट अथवा शरीर के 50 प्रतिशत से अधिक जलने जैसी स्थिति में 2.50 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है। यात्री राहत योजना का दायरा अप्रैल 2026 में और बढ़ाया गया है। अब ऐसे राहगीर या अन्य व्यक्ति, जो निगम की बस में यात्रा नहीं कर रहे

हों, लेकिन निगम अथवा अनुबंधित बस की दुर्घटना में घायल या मृत हो जाते हैं, उन्हें भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है। ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक और गंभीर रूप से घायल होने पर 2.50 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान किया गया है। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट और परिवहन निगम के जांच अधिकारी की रिपोर्ट में यदि दुर्घटना के लिए संबंधित व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है तो योजना के तहत आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। सरकार और परिवहन निगम का कहना है कि योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए दुर्घटनाओं की संख्या कम करने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है।

बॉयस ऑफ लखनऊ | 3

लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में बनेगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क

- एक लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार**

और फैशन से फरिन—को साकार करने की दिशा में पीएम मित्र पार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से करीब एक लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पार्क के निर्माण से लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ निवेश और व्यापार को भी गति मिलने की उम्मीद है। प्रमुख सचिव अनिल सागर ने बताया कि देशभर में सात मेगा वर्क्स एवं परिधान पार्क विकसित किए जाने की योजना के तहत उत्तर प्रदेश में इस पार्क की स्थापना की जा रही है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ह्यपीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लिमिटेडहू नाग से स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जा चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और भारत सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5१५ विजन—फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन

स्कूल के विद्यार्थियों ने किया विधान भवन का शैक्षिक भ्रमण



लखनऊ।एसआरएस मेमोरियल किड्स गार्डन स्कूल, बिधूना (औरैया) के विद्यार्थियों के एक दल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट की तथा विधान भवन का शैक्षिक भ्रमण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके उच्चल भविष्य की कामना की और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए ऐसे शैक्षिक भ्रमणों के महत्व पर प्रकाश डाला। विधान भवन भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा के सदन, विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों तथा परिसर की ऐतिहासिक एवं स्थापत्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली, सदन में विधायी कार्यों के संचालन, प्रश्नकाल, विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा की भूमिका के संबंध में विस्तार से बताया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी से मजबूत होता है। विद्यार्थियों को संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं की जानकारी प्रारंभ से होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश के भविष्य के नागरिक और जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता हैं इसलिए उन्हें शिक्षा के साथ-साथ अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष से विभिन्न विषयों पर जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे।

एलडीए में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में हुए बदलाव

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह के कार्यमुक्त होने के बाद विहित प्राधिकारी के कार्यों में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही प्राधिकरण के विभिन्न प्रवर्तन जोन में तैनात जोनल अधिकारियों के कार्यक्षेत्र भी पुनर्निर्धारित किए गए हैं। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के एए आदेश के अनुसार ट्रांस गोमती क्षेत्र के विहित प्राधिकारी के रूप में अतुल कुमार, संयुक्त सचिव को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सिस गोमती क्षेत्र के विहित प्राधिकारी विपिन शिवहरे, विहित प्राधिकारी होंगे। दोनों अधिकारियों के बीच लिंक अधिकारी की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है। वहीं, प्रवर्तन से जुड़े पूर्व में पारित आदेश में संशोधन करते हुए प्राधिकरण के जोन-1 से जोन-7 के जोनल अधिकारियों और उनके लिंक अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। आदेश के

अपयश मिलने के बाद भी जनसेवा करने वाला ही नेता

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि समाज सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। अपयश के बाद भी जनता की सेवा में निरंतर जुटे रहने वाला जनप्रतिनिधि ही वास्तव में सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक के लिए उसका जनप्रतिनिधि ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लखनऊ के होटल सेंट्रम में मंगलवार को साइबर सुरक्षा : ए डिजिटल सिक्योरिटी ब्रीफिंग फॉर लेजिस्लेटर्स विषयक चौथी एवं अंतिम कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि समाज के लिए पूरे दिन मेहनत करता है लेकिन सोशल मीडिया पर दो-चार नेगेटिव कमेंट्स से वो हताश हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे नकारात्मक कमेंट्स से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता की सेवा करते रहिए। आपकी सेवा का मूल्यांकन जनता को करना होता है। अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि जनता



के सुख-दुःख में उसके साथ खड़ा रहना और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करना भी उसकी जिम्मेदारी है। जनसेवा के इस दायित्व को पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ निभाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र बेहद चुनौतीपूर्ण है और पिछले चार वर्षों में विधानसभा के सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी निष्ठा से कार्य किया है।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा चुनाव निकट हैं, ऐसे में सभी सदस्यों को संयम और मर्यादा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। राजनीतिक जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति दायित्व सदैव बना रहता है इसलिए सभी सदस्यों को लोकतांत्रिक

मूल्यों, संसदीय मर्यादों और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे ने साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, डिजिटल खतरों तथा उनसे बचाव के प्रभावी उपायों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को अपने मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरणों तथा सोशल मीडिया खातों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। किसी भी उपकरण, अथवा निजी जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है।

कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, डिजिटल खतरों तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान माननीय सदस्यों के साथ साइबर एवं डिजिटल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में हुए विभिन्न नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में तकनीक और साइबर सुरक्षा की जानकारी

प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने विधायिका और इंटरनेट से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए तकनीक के दुरुपयोग को रोकने तथा डिजिटल व्यवस्था में आवश्यक सुधारों पर बल दिया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी साइबर एवं डिजिटल सुरक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला के दौरान डॉ. सुरभि, मंजू शिवाच, रविशर्मा, डॉ. आरके वर्मा, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, ओम प्रकाश सिंह, प्रतीक भूषण सहित अन्य विधायकों ने प्रश्न पूछे जिसका साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे ने उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा के अधिकारियों से कहा कि पूरे कार्यक्रम का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए। कार्यक्रम में राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, मनोहर लाल मन्नी कोठी, कृष्ण पासवान, कैलाश सिंह राजगुप्त एवं सुरेन्द्र दिलेर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे सहित विधानसभा के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

ज्यादा लालच कभी-कभी घातक सिद्ध होता है

●बौद्ध शोध संस्थान में नाटक ख्वाहिशें का मंचन

वरिष्ठ संवाददाता (vol)

लखनऊ। नाट्य संस्था आकांक्षीएटर आर्ट्स, लखनऊ द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली के रिपेट्री ग्रान्ट वर्ष 2026-27 की प्रथम प्रस्तुति के रूप में आयोजित सुप्रसिद्ध मूल नाटककार अल्वेयर कामू की नाट्य रचना तथा हिन्दी नाट्य रूपान्तरण शरद जोशी की नाट्य रचना ख्वाहिशें का नाट्य मंचन आज सायंकाल बौद्ध शोध संस्थान, में वरिष्ठरंगनिर्देशक प्रभात कुमार बोस, उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी एवाडी के कुशलनिर्देशन में मंचित किया गया। कथानक के अनुसार सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी नाटककार अल्वेयर कामू की मूल नाट्यय रचना एवं शरदचन्द्र द्वारा रूपांतरित कथानक के अनुसार मार्था अपनी माँ के साथ एक गेस्ट हाऊस का संचालन करते हैं। गेस्ट हाऊस में जितने भी लोग आकर ठहरते हैं, इन दोनों माँ-बेटी द्वारा उन्हें जान से मारकर उनकी दौलत को लूट लेते थे। एक दिन उस गेस्ट हाऊस में क जॉन नाम का व्यक्ति जो कि विदेश से



आकर वहा ठहरता है, और इसी प्रकार जॉन को पत्नी मारिया भी उसी गेस्ट हाऊस में आकर देखती है कि उसका पति जो कि विदेश से आकर उस गेस्ट हाऊस में ठहरता है, इसी प्रकार जॉन की पत्नी मारिया भी देख लेती है कि उसका पति किस गेस्ट हाऊस में ठहरा है। जॉन तुरन्त मारिया को वहां से जाने के लिए कह देता है, उसके बाद मार्था द्वारा रजिस्टर में जॉन का नाम व पता दर्जी करते हुए मार्था जॉन

से पूछती है कि वह इस गेस्ट हाऊस में अकेला ही रहेगा? वह जल्दी ह अपनी पत्नी मारिया के पास वापस चला जायेगा, जो कि विदेश में रहती है। मार्था अपनी माँ को यह बताती है मार्था की भूमिका में दिव्यजीत गुप्ता, मार्था की भूमिका में आरोही गुप्ता, जॉन एक मुसाफिर की भूमिका में अंकुर सक्सेना एवं मारिया की भूमिका मेंमुस्कान सोनी द्वारा अपने सशक्त और भावपूर्ण अभिनय से रंग दर्शकों अपनी बेटी को इस ज़िद के आगे विवश हो

इस सदर्में को मार्था की माँ बरदाशत नहीं कर पाती है और वह भी अपने जीवन का अन्त कर देती है। यहीं पर नाटक का समापन होता है। मार्था की माँ की भूमिका में दिव्यजीत गुप्ता, मार्था की भूमिका में आरोही गुप्ता, जॉन एक मुसाफिर की भूमिका में अंकुर सक्सेना एवं मारिया की भूमिका मेंमुस्कान सोनी द्वारा अपने सशक्त और भावपूर्ण अभिनय से रंग दर्शकों को भाव विभोर कर दिया।

ऋषि का सदसाहित्य जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है : उमानन्द शर्मा

वरिष्ठ संवाददाता (vol)

लखनऊ। गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर, लखनऊ के विचार क्रान्ति ज्ञान यज्ञ अभियान के अन्तर्गत महात्मा गाँधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, खसरवा, जुनाबगंज, लखनऊ, उ.प्र. के केन्द्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण 79 खण्डों का 470वाँ ऋषि वाङ्मय की स्थापना का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सावित्री शर्मा ने अपने प्रिय पुत्री पार्वती शर्मा के स्वस्थ जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु ज्ञानदान के रूप में उपरोक्त संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय में यह सम्पूर्ण युगऋषि वाङ्मय साहित्य भेंट किया साथ-साथ संस्थान के शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा छात्र-छात्राओं को अखण्ड ज्योति (हिन्दी) पत्रिका भेंट किया तथा संस्थान के चेयरमैन एवं प्रधानाचार्य को अमृतवाणी कैलेण्डर भेंट किया गया। इस अवसर पर वाङ्मय स्थापना



अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि का सदसाहित्य व्यक्ति को स्वस्थ, सुखी जीवन जीने की मार्ग प्रदान करता है। संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. राजीव पाण्डेय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वाङ्मय साहित्य स्थापना के इस अवसर पर गायत्री ज्ञान मंदिर के प्रतिनिधि उमानंद शर्मा, देवेन्द्र सिंह, सावित्री शर्मा, शशि गंगवार एवं संस्थान के चेयरमैन,

प्रधानाचार्य डॉ. राजीव कुमार पाण्डेय, एनाटॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. रमेश कुमार कुमार सिंह, फीजियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आशीष जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं बेसिक प्रिंसिपल विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. मन्दाकिनी पी. सिंह सहित संस्थान की शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा छात्र-छात्राएं इत्यादि मौजूद रहे।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच

पत्रांक : 242 / राज्य सेक्टर-पेयजल/नि॰कार्य / ई-टेंडर/2026-27

दिनांक: 22, अगस्त, 2026

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

नगर पालिका परिषद, बहराइच के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में ‘‘पेयजल हेतु व्यवस्था’’ योजना के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में संयुक्त सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र सं0-179/2026/2316/नौ-5-2026/002-Com.No-2044861 दिनांक 04 जून 2026 में प्रथम किश्त के रूप में आवंटित रू0 1,00,00,000.00 से ‘‘पेयजल हेतु व्यवस्था’’ योजना में क्रमांक-01 एवं 04 पर क्रमश: पर मोहल्ला काजीपुर स्थित नलकूप की रिबोरिंग का कार्य एवं विकास भवन स्थित नलकूप की रिबोरिंग का कार्य की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी है। निम्न विवरण के अनुसार मोहल्ला बड़ीहाट स्थित नलकूप की रिबोरिंग का कार्य करने हेतु नगर पालिका परिषद, बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों / फर्मों से प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन दिनांक 25 अगस्त, 2026 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदा आमन्त्रित की जाती है। उक्त अवधि में ही ई-टेंण्डरिंग के माध्यम से निविदायें ई-टेंण्डर पोर्टल http://etender-up-nic-in पर डाउनलोड करके दिनांक 14 सितम्बर, 2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 14 सितम्बर, 2026 को अपरान्ह 04:00 बजे आनलाइन खोली जायेगी। तकनीकी बिड में अर्ह पाये जाने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई-टेंण्डर पोर्टल पर खोलने हेतु अपलोड की जायेंगी। सम्बन्धित निविदा सूचना नगर पालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट www.bahraichnpp.in पर उपलब्ध है। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर धनराशि / जमानत धनराशि, निविदा मूल्य सहित विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (18 प्रतिशत जी.एस.टी. रहित)	10 प्रतिशत धरोहर जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	निविदा मूल्य पर 18(GST	ई-टेंडरिंग शुल्क	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य
1	मोहल्ला काजीपुर स्थित नलकूप की रिबोरिंग का कार्य	रू. 34,58,236.00	रू. 3,46,000.00	रू. 3459.00	रू. 623.00	रू. 250.00	रू. 4332.00
2	विकास भवन स्थित नलकूप की रिबोरिंग का कार्य	रू. 34,58,236.00	रू. 3,46,000.00	रू. 3459.00	रू. 623.00	रू. 250.00	रू. 4332.00

नियम व शर्तें-

- यह निविदा दो-स्तरीय (Twg-Bid) प्रणाली के अंतर्गत आमंत्रित की गई है। प्रथम स्तर पर टेक्निकल बिड (Technical Bid) खोली जाएगी तथा द्वितीय स्तर पर केवल उन निविदादाताओं की फाइनेंसियल बिड (Financial Bid) खोली जाएगी, जो टेक्निकल बिड में अर्ह (Qualified) पाए जाएँगे।
- टेक्निकल बिड में अर्हता प्राप्त न करने वाले निविदादाताओं की फाइनेंसियल बिड किसी भी दशा में नहीं खोली जाएगी तथा उनकी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
- निविदादाता को ई-निविदा पोर्टल (etender.up.nic.in) पर टेक्निकल बिड एवं फाइनेंसियल बिड अलग-अलग निर्धारित स्थानों पर अपलोड करनी होगी। दोनों बिड एक साथ अथवा गलत स्थान पर अपलोड करने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
- टेक्निकल बिड के अंतर्गत निविदादाता को सभी आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, धरोहर राशि / जमानत धनराशि की जमा पर्ची, निविदा शुल्क की जमा पर्ची तथा अन्य निर्धारित अभिलेख पी.डी.एफ. (PDF) प्रारूप में अपलोड करने होंगे।
- फाइनेंसियल बिड में केवल दरें (Rates) ही भरी जाएँगी। फाइनेंसियल बिड में किसी प्रकार का दस्तावेज अथवा शर्त नहीं जोड़ी जाएगी। फाइनेंसियल बिड में किसी शर्त का उल्लेख होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
- टेक्निकल बिड खोलने के पश्चात अर्ह निविदादाताओं की सूची ई-निविदा पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी तथा उसी के आधार पर निर्धारित तिथि एवं समय पर फाइनेंसियल बिड खोली जाएगी। फाइनेंसियल बिड खोलने की तिथि की सूचना पोर्टल एवं संबंधित निविदादाताओं को दी जाएगी।

सामान्य नियम एवं शर्तें-

- निविदादाता द्वारा उक्त कार्य की धरोहर राशि / जमानत धनराशि को नगरपालिका परिषद, बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या 50383894033, IFSC Code: IDIB000C601 में एफ.डी.आर./टी.डी.आर./एन.एस.सी. अथवा ऑनलाइन भुगतान के रूप में जमा कर, जमा रसीद/भुगतान पर्ची की स्कैन की हुई प्रति (पी.डी.एफ. प्रारूप में) ई-निविदा पोर्टल (etender.up.nic.in) पर टेक्निकल बिड के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।
- निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (जो निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो), निर्माण कार्यों हेतु किसी भी विभाग में फर्म के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, जी. एस. टी. पंजीकरण, पैन कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, समान कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र तथा रू.100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ-पत्र की स्कैन की हुई प्रतियाँ (पी.डी.एफ. प्रारूप में) टेक्निकल बिड के अंतर्गत ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
- समस्त निविदाएँ केवल ई-निविदा पोर्टल etender.up.nic.in के माध्यम से ही स्वीकार की जाएँगी। अन्य किसी माध्यम (डाक, व्यक्तिगत रूप से अथवा सीलबंद लिफाफे) से प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- बिना कारण बताए एक अथवा समस्त निविदाएँ निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- ठेकेदार/फर्म का जी.एस.टी. एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति के उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (पालिका में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा। तदोपरान्त ही नियमानुसार कायादेश निर्गत किया जाएगा।
- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जाँच ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
- निविदा की धनराशि में 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सम्मिलित नहीं है। इसका भुगतान नियमानुसार अलग से किया जाएगा।
- उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन-तीन निविदाएँ समस्त औपचारिकताओं सहित ऑनलाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- निविदा की विस्तृत जानकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के जलकल अनुभाग से अथवा ई-निविदा पोर्टल (etender.up.nic.in) से निविदा जमा करने से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- किसी भी फर्म/ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने अथवा कायादेश निर्गत होने के पश्चात यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि संबंधित किसी

भी अभिलेख (प्रमाण-पत्रों) के अनुसार वह ठेका पाने के लिए अनर्ह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो ऐसी दशा में अनुबन्धित कार्य का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।।

- निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित कार्य के प्राक्कलन में प्राविधानित निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक लागत के समान निर्माण कार्य, जो संतोषजनक रूप से पूर्ण कराया गया हो, का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र भी टेक्निकल बिड के अंतर्गत ई-निविदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
- निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर (सिविल कार्यों का) उल्लिखित निर्माण कार्य की लागत के बराबर अथवा अधिक होना चाहिए।
- स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप निदेशानुसार ठीक कराना होगा। अन्यथा किए गए कार्य का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।
- प्राप्त किसी भी अथवा समस्त निविदाओं/ई-निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदा शुल्क गैर-वापसी योग्य (Non-Refundable) है।
- उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार ही स्थल पर मानक के अनुरूप गुणवत्तापरक कार्य न्यूनतम निविदादाता को कराना होगा।
- कार्य को स्वीकृत आगणन की धनराशि पर ही पूर्ण कराया जाएगा।
- कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्ट्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था तथा कार्य प्रारम्भ होने एवं कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जाएगा।
- ठेकेदार द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के विस्तृत विनिदेशों (Detail Specifications) तथा नवीनतम उत्तर प्रदेश जल निगम के सकुलर के अनुसार ही कार्य कराया जाएगा।
- उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है, तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में की जाएगी।
- शासनादेश संख्या-01/2018/3070/78-2-2018/42 आई.टी./2017 (22) दिनांक 03.01.2018 में निहित निदेशों के क्रम में निविदादाता को निविदा खुलने से पहले अथवा तीन दिन के अन्दर निविदा से सम्बन्धित मूल अभिलेख डाक द्वारा अथवा स्वयं कार्यालय उपस्थित होकर जमा करने होंगे। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
- निविदादाता को गत पाँच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों का लाभ-हानि विवरण तथा वार्षिक टर्नओवर, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) तथा ऑडिटर द्वारा निर्गत किया गया हो, की स्कैन की हुई प्रति (पी.डी.एफ. प्रारूप में) टेक्निकल बिड के अंतर्गत ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।
- पेयजल पाइपलाइन की गारंटी अवधि एक वर्ष होगी। गारंटी अवधि में यदि किसी भी कार्य अथवा सामग्री में दोष / खराबी उत्पन्न होती है, तो सफल निविदादाता द्वारा उसे तत्काल प्रभाव से निःशुल्क ठीक कराना होगा। कार्यों हेतु पृथक से कोई सामग्री देय नहीं होगी।
- निविदादाता को ?10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ-पत्र के माध्यम से यह प्रमाण देना होगा कि निविदादाता के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है और न ही निविदादाता बार काउंसिल में पंजीकृत है। उक्त शपथ पत्र की स्कैन की हुई प्रति (पी.डी.एफ. प्रारूप में) टेक्निकल बिड के अंतर्गत ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- निविदादाता को अपनी फर्म के पैड पर अपना अधिकृत पत्र व्यवहार का पता, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध कराना होगा।
- कार्य कराये जाने के पश्चात भुगतान बिल से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
- निविदादाता को रू.10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि निविदा में अंकित कार्य कराये जाने हेतु उसके पास स्वयं के उपकरण उपलब्ध हैं अथवा किराये पर लिए जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध एवं स्वामित्व का उल्लेख करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति (पी.डी.एफ. प्रारूप में) टेक्निकल बिड के अंतर्गत ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। :
- निविदादाता को रू.10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके पास कार्य कराये जाने हेतु तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है। उक्त शपथ-पत्र की स्कैन की हुई प्रति (पी.डी.एफ. प्रारूप में) टेक्निकल बिड के अंतर्गत ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- निविदादाता को ई.पी.एफ. प्राधिकरण द्वारा निर्गत ई.पी.एफ. प्रमाण-पत्र एवं ई.एस.आई.सी. प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति (पी.डी.एफ. प्रारूप में) टेक्निकल बिड के अंतर्गत ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।
- कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना होगा। विलम्ब की स्थिति में सक्षम अधिकारी के निदेशानुसार अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा समय वृद्धि प्रदान की जा सकती है।
- ऐसे राज्यपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जो राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता / अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य कराते हुए पाए जाएँगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी का सगा संबंधी (रक्त संबंधी) आमंत्रित निविदाओं में प्रतिभाग करता है, तो पंजीकरण नियमावली के अनुसार निविदा निरस्त कर दी जाएगी तथा संज्ञान में आते ही उनके कार्य का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा।
- जमा की गई जमानत धनराशि संबंधित कार्य के लिए निर्धारित गारंटी अवधि के उपरान्त ही अवमुक्त की जाएगी तथा परफॉर्मेंस गारैटी कार्य गुणवत्तापरक पूर्ण पाए जाने पर कार्य के अन्तिम मापन के उपरान्त अवमुक्त की जा सकेगी।
- कार्यों / आपूर्ति के त्रिस्तरीय सत्यापित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
- राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-3358/नी-5-2025-66 सा/2025 दिनांक 11.06.2025 द्वारा निर्गत दिशा-निदेशों के अनुसार थर्ड पार्टी (Third Party) जाँच के उपरान्त ही कार्य के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- स्थानीय विवाद एवं कर्मचारी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
- सर्वाधिकार नगरपालिका परिषद, बहराइच में सुरक्षित रहेंगे तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र बहराइच न्यायालय होगा।
- निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की जमा पर्ची (भुगतान रसीद) तथा सभी आवश्यक दस्तावेज केवल पी.डी.एफ. (PDF) प्रारूप में ही ई-निविदा पोर्टल (etender.up.nic.in) पर अपलोड किए जाएँगे। अन्य किसी प्रारूप (JPEG, PNG, Word आदि) में अपलोड किए गए दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
- ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट, पठनीय एवं पूर्ण होने चाहिए। अस्पष्ट, अधूरे अथवा कट-फटे दस्तावेज अपलोड करने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। निविदादाता को सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही एवं अद्यतन हों।

अधिशासी अधिकारी

न.पा.परि. बहराइच

अध्यक्ष

न.पा.परि. बहराइच

संक्षेप

नववर्ष मेला समिति

रक्तदान शिविर आज

मथुरा। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नववर्ष मेला समिति मथुरा के तत्वावधान में सदभावना चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर सरस्वती शिशु मन्दिर दीनदयाल नगर मथुरा में कल (आज) प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगा।यह जानकारी समिति महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव ने दी है। मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा ने बताया है कि यह रक्तदान शिविर समिति के सेवा कार्यों के अंतर्गत हो रहा है। रक्तदान दाताओं के लिए उपहार, जलपान, प्रमाण-पत्र और वालन्टियर कार्ड भी दिया जायेगा।

संशोधन प्रार्थना पत्र पर हिंदू पक्ष दाखिल करेगा आपत्ति

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही इंदगाह मस्जिद प्रकरण में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान संशोधन प्रार्थना पत्र पर हिंदू पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया गया। अदालत ने इसके लिए हिंदू पक्ष से आपत्ति मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि मंगलवार को अदालत में संशोधन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। अदालत ने हिंदू पक्ष को इस पर अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही इंदगाह विवाद में मंगलवार की सुनवाई पर पहले से ही पक्षकारों और समर्थकों की नजर थी। मंगलवार की सुनवाई में संशोधन प्रार्थना पत्र पर हिंदू पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का निर्देश मिलने के बाद अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। इस तारीख पर हिंदू पक्ष की आपत्ति और उसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर आगे की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत और प्रतिनिधि वाद पर अभी सुनवाई होनी है।

ठा. द्वारकाधीश मंदिर में सजी अलौकिक लहरिया घटा

मथुरा। पुष्टिमार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में सावन मास के पावन प्रसंग पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार शाम मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी (एडवोकेट) ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के सभी कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 1०8 डॉ. वागीश कुमार जी महाराज (कांकरली नरेश, तृतीय पीठ) के निर्देशन में होता है। इसी परंपरा के तहत मंगलवार ठाकुर जी महाराज लहरिया घटा में विराजमान हुए। इस विशेष अवसर पर संपूर्ण मंदिर प्रांगण को सतरंगी लहरिया कपड़ों, रंग-बिरंगी लाइट्स और सुगंधित फूलों से बेहद भव्य तरीके से सजाया गया, जिसमें 9 सुंदर हिंडोले मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे।पुष्टिमागीव परंपरा में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए उन्हें घटा और हिंडोले में विराजमान कराया जाता है। श्री तिवारी ने बताया कि घटा का मुख्य तात्पर्य ठाकुर जी को बाहर के सुहाने मौसम की अनुभूति करवाना है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरे सावन मास निरंतर जारी रहेगा। जानकारी देते हुए बताया गया है कि कल सायं काल 5-1० से 5:40 बजे तक ठाकुरजी महाराज गुलाबी मखमल के विशेष हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित

फिरोजाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 12 सितम्बर 2०26 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद की सचिव की अध्यक्षता में जनपद के समस्त बैंक प्रबंधकों प्रतिनिधियों को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित प्री-लिटिगेशन एवं लॉबि्ट प्रकरणों के आधिकारिक निस्तारण हेतु विस्तृत चर्चा की गई। सचिव द्वारा समस्त बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने- अपने बैंक से संबंधित समझौता योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर विहित करते हुए पक्षकारों को समय से नोटिस प्रेषित कराएं तथा उनसे प्रभावी संपर्क स्थापित कर आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अधिक प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु संवेधित कराएं तथा सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। बैठक के अंत में समस्त बैंक प्रबंधकों प्रतिनिधियों द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने तथा आधिकारिक बैंक ऋण संबंधी प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराए जाने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

तीन अवैध कॉलोनियों पर विप्रा का चला बुलडोजर



मथुरा (मधुसूदन शर्मा)। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों और कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बड़ी कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन. के निर्देशन तथा सचिव आशीष कुमार सिंह नेतृत्व में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने तीन अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया।

गौतरलब हो कि वृंदा प्रेस कॉलोनी (जैत) स्थित सुरेंद्र उत्रेजा द्वारा

वीआईपी रोड, मौजा जैत पर बिना

किसी पूर्व विधिक स्वीकृति या

मानचित्र अनुमोदन के लगभग

18,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सड़क,

पार्क, मंदिर और गेट बनाकर वृंदा ग्रेस

● **बाउंड्रीवॉल और सड़कें ध्वस्त**

नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की

जा रही थी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन

एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत

वाद दर्ज कर 13 जुलाई 2026 को

ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया

था।निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण

मथुरा/फिरोजाबाद

महिलाओं ने गोवर्धन तहसील पर किया थाली बजाकर प्रदर्शन

न हटाने पर आज प्रवर्तन दल ने यहाँ कार्रवाई की। वहीं श्याम लाल द्वारा नारायण गांव से आगे मौजा सुनरख बांगर, वृंदावन में बिना अनुमति के लगभग 3,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में श्री राधिका रानी निकुंज नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी।इस मामले में 23 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। वहीं मुकेश द्वारा मौजा देवी आटस (वृंदावन आर्चिड के पीछे चक रोड पर) लगभग 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध रूप से सड़क, ऑफिस और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था।इसके संबंध में 18 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था। विकासकताओं द्वारा नियत अवधि में अवैध निर्माण स्वयं न हटाने के बाद, आज प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने तीनों स्थलों पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्रीवॉल, गेट, भूखंडों की प्लिथ और इंटरलॉकिंग सड़कों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। विप्रा की उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

संस्कृति विवि में भव्य दीक्षारंभ 2026 आयोजित

- नगर आयुक्त और मेजर जनरल जीडी बख्शी ने नये विद्यार्थियों में भरा जोश**

मथुरा। संस्कृति विवि का तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम 2026 अपनी भव्य परंपराओं के साथ संतोष मेमोरियल ऑडिटोरियम के मंच पर शुरू हुआ। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के दिग्वजों ने न केवल नए विद्यार्थियों का स्वागत किया, बल्कि उन्हें भविष्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मूल्य, अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के गुरु भी सिखाए। मुख्य अतिथि के रूप में बोलेते हुए नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने विद्यार्थियों को विज्ञान, तार्किक बुद्धि और मजबूत चरित्र का महत्व समझाया। उन्होंने रमायाण का संदर्भ देते हुए बताया कि किस प्रकार केवल चरित्र के अभाव में रावण को पराजय का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने बलि्या कार्यक्रमकाल के दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा शुरू किए गए दलिया और सत्तू निर्माण स्टार्टअप का उदाहरण देते हुए युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने और कृषि क्षेत्र में आपर संभावनाओं की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया।साथ ही, उन्होंने बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात कही।विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य से युवाओं में राष्ट्रभक्ति और निडरता का संचार किया। उन्होंने सैनिकों की वीरता के किस्से सुनाते हुए कहा कि डर का सामना कर उस पर काबू पाना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने युवाओं से देश के लिए समर्पित रहने और अपने जीवन में देशभक्ति के मूल्यों को



सर्वोंपर रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. सचिन गुप्ता ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खुद पर भरोसा रखें, ईमानदारी अपनाएं और दूसरों की प्रतिक्रिया को चिंतित किए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में जुट जाएं।उन्होंने पढ़ाई के दौरान 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य बताते हुए हर सेमेस्टर में एक ऑनलाइन कोर्स करने और असफलताओं से न डरने की सलाह दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलपति प्रो. एमबी चेट्टी ने अतिथियों का स्वागत किया और नवीन विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।इस अवसर पर एसओईआईटी के डीन डॉ. पंकज गोस्वामी, परीक्षा नियंत्रक विभाग के विनोद सारस्वत और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल डॉ. कंचन कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय की शिक्षण प्रणालियों और छात्रवृत्तियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर शुभांगी सक्सेना ने किया।

डीएम ने कम्पोजिट विद्यालय का किया निरीक्षण

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा मंगलवार को विकास खण्ड टूण्डला के कम्पोजिट विद्यालय, टूण्डला का स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय की शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति,मध्यान्ह भोजन एवं शिक्षण-अधिगम की स्थिति का जायजा लिया गया। विद्यालय में 01 ईचांज प्रधानाध्यापक 09 सहायक अध्यापक, 02 शिक्षामित्र एवं 02 अनुदेशक सहित कुल 14 कार्मिक कार्यरत पाए गए। निरीक्षण के समय एक सहायक अध्यापिका आकस्मिक अवकाश पर थीं तथा शेष स्टाफ उपस्थित पाया गया। विद्यालय में 414 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं,जिनमें से 242 उपस्थित मिले। मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वितरित दाल एवं चावल की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। इस दौरान कक्षा-6, 7 एवं 8 में पर्यावरण अध्ययन विषय की परीक्षा संचालित थी।

बॉयस ऑफ लखनऊ | 07

रामसिंह महाविद्यालय में रोजगार मेला आयोजित



टूंडला। रामसिंह महाविद्यालय नगला सिकंदर टूंडला में जिला सेवायोजन कार्यालय फिरोजाबाद की ओर से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत एकदिवसीय निःशुल्क वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने फीता काटकर किया।विधायक ने रोजगार मेला आयोजित करने के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय की सराहना करते हुए प्रतिभागी नियोजकों का आभार जताया। उन्होंने बेरोजगार अभ्यर्थियों से विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर रोजगार के अवसर प्राप्त करने का आह्वान किया। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों सहित कुल 18 नियोजकों ने प्रतिभाग किया। मेले में 1125 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण एवं प्रतिभाग किया, जिनमें से चयन प्रक्रिया के बाद 175 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए चयनित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अभ्यर्थियों को जनपद में आयोजित होने वाले तहसील स्तरीय रोजगार मेलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी आगामी रोजगार मेलों में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें और अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कंपनियों में रोजगार के अवसर तलाशें।जिला सेवायोजन अधिकारी खुशबू शास्त्र्य ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं रोजगार संबंधी सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में राजकीय आईटीआई जारखी की प्रधानाचार्य हेमलता यादव, राजकीय पॉलीटेक्निक भौंडेला टूंडला के प्रधानाचार्य मधुवन प्रसाद, रामसिंह महाविद्यालय के प्रबंधक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह सहित जिला सेवायोजन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कमल हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार ,पैर में लगी गोली

फिरोजाबाद। थाना रामगढ़ क्षेत्र में 23 अगस्त को निमाणाधीन मकान में मिले कमल के शव के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी आकाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस,मृतक का मोबाइल फोन, कपड़े और घटना में प्रयुक्त लोडर टिरी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 23 अगस्त को नगला गुलरिया स्थित एक निमाणाधीन मकान में एक युवक का नग्न अवस्था में शव मिला था। मृतक की पहचान कमल निवासी नगला केसरी थाना एत्सादपुर आगरा के रूप में हुई थी। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना रामगढ़ में आरोपी आकाश पुत्र श्याम सिंह निवासी नगला गुलरिया के खिलाफ हत्या की धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों गठित की गई थीं। इसी क्रम में रामगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या का वांछित आरोपी आकाश शांती रोड पर छिपकर घूम रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक पृष्ठताछ में आरोपी आकाश ने बताया कि 22/23 अगस्त की रात कमल ने उससे नगला गुलरिया तक लिफ्ट मांगी थी। वहां पहुंचने के बाद आरोपी ने कमल के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया, जिसका कमल ने विरोध किया।विरोध से क्षुब्ध होकर आरोपी ने कमल के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को नग्न अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस,घटना में प्रयुक्त लोडर टिरी मृतक का रियलमी मोबाइल फोन तथा मृतक के कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 122 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न गूंजे मंगलगीत



फिरोजाबाद/टूंडला। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लक्ष्मी फार्म हाउस, पीपल चौकी, चुल्हावाली रोड टूंडला में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 122 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। जिसमें 11० हिंदू और 12 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिलाधिकारी ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरकार की अनूटी एवं महत्वपूर्ण पहल है। सामान्य परिवारों में रोजगार, बच्चों की शादी और आकस्मिक चिकित्सा जैसी प्रमुख चिंताएं होती हैं। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वेदी के जन्म के बाद अभिभावक उसकी शादी के लिए थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं, लेकिन विवाह के समय पूरी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अभिभावकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इससे उन्हें बेटीयों के विवाह को लेकर आर्थिक चिंता से काफी हद तक राहत मिलती है। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को दिया जा सकता है। नववधू के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना के तहत निर्धारित धनराशि उनके खते में भी प्रेषित की जा रही है। उन्होंने जनपद के सभी पात्र एवं वंचित परिवारों से अपील की कि जिनके विवाह तय हो चुके हैं, वे आगे आकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस अवसर पर विधायक प्रेमपाल धनगर ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के चलते अब सामान्य परिवारों को अपनी बेटीयों के विवाह की चिंता नहीं रह गई है। सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों एवं जातियों के जोड़ों का एक साथ विवाह कराकर सरकार सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे रही है।

बारावफात को लेकर एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को किया बीफ

फिरोजाबाद। आगामी बारावफात पर्व को सकारुल शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए फिरोजाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांहे ने पुलिस लाइन सभागार में बारावफात ड्यूटी में लगाए गए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग के दौरान एसएसपी ने बारावफात जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सतर्कता तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वे अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर समय से पहुंचकर पूर्ण सतर्कता एवं अनुशासन के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें। एसएसपी ने कहा कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा अश्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिसकर्मों लगातार सतर्क रहें और स्थानीय परिस्थितियों पर पैनी नजर बनाए रखें। उन्होंने बारावफात पर्व को आपसी भाईचारे, शांति एवं सौहार्द के साथ संपन्न करने पर विशेष जोर दिया।

संक्षेप

डीएम-एसपीने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण

ललितपुर। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को जिला कारागार की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई ने 25 अगस्त 2026 को जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने कारागार परिसर का भ्रमण करते हुए बैरकों, मेस तथा अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। अधिकारियों ने कारागार की सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बनरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के अचानक निरीक्षण से कारागार प्रशासन में भी सतर्कता देखने को मिली। अधिकारियों ने कारागार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाए रखने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

पेयजल आपूर्ति रहेश्गी प्रभावित

ललितपुर। उत्तर प्रदेश जल निगम, झांसी द्वारा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नगर में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने हेतु नवनिर्मित 1500 किलोलीटर क्षमता के भूमिगत ललाशय में 13 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट के किलपर वाटर् को जोड़ने का कार्य किया जाना है। इस आशय की जानकारी देते हुये जलसंस्थान के अधिशासी अभियंता मुंशीलाल ने बताया कि उक्त कार्य के कारण आज 26 अगस्त को 13 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहेगा। इसके फलस्वरूप कसाई मंडी स्थित पानी की टंकी दिनांक 26 अगस्त 2026 को बंद रहेगी। इस कारण कसाई मंडी, बजरिया, कटरा बाजार, महावीरपुरा, सरदापुरा आदि मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। अधिशासी अभियंता ने संबंधित क्षेत्रों के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील है कि कृपया आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में पेयजल पूर्व में ही संचित कर लें तथा जल का समुचित उपयोग करें, जिससे उक्त अवधि में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

ब्रेन हेमरेज से हेड कांस्टेबल की मौत

सैफई, इटावा। ब्रेन हेमरेज के बाद उपचार के लिए भर्ती हेड कांस्टेबल की मंगलवार को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के अस्पतालमें मौत हो गई। अलीगढ़ पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी की हालत बिगड़ने पर स्वजन उन्हें उपचार के लिए सैफई लाए थे। मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। सैफई थाना क्षेत्र के मटियार गांव निवासी बृजेश कुमार 53 वर्षीय पुत्र विद्याराम उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे।वर्तमान में उनकी तैनाती अलीगढ़ पुलिस लाइन में थी। 19 अगस्त को ब्रेन हेमरेज होने पर उन्हें अलीगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।हालत में सुधार न होने पर स्वजन उन्हें नोएडा के अस्पताल ले गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में भर्ती कराया गया। लगातार उपचार के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई। बृजेश कुमार वर्ष 1991 बैच में कांस्टेबल के पद पर पुलिस में भर्ती हुए थे। उनके एक बेटा विपिन कुमार और दो बेटियाँ हैं। दोनों बेटियों को शादी हो चुकी है।बड़े भाई कमलेश ने बताया कि बृजेश की मौत से परिवार में शोक है।

जहरखुरानियों ने एलएलबी छात्र को लूटा

इटावा। फ्रेडस कालोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाइवे पर समूहिक हास्पिटल के पास स्थीपर बस चालक एलएलबी छात्र को बेहोशी की हालत में सड़क कि किनारे उतारकर चला गया। परिजनों को सूचना लगने पर छात्र को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। एलएलबी छात्र दिलशाद उम्र 17 पुत्र राजू सिद्दीकी गिरधारीपुरा ए ब्लाक निवासी जयपुर बीती रात सोमवार को साढ़े 9 बजे जयपुर से इटावा के लिए अपने बहनोई राशिद निवासी अशोकनगर मुस्लिम कालोनी बंगाली कालोनी के यहां आ रहा था तभी रास्ते में तीन युवकों ने दोस्ती की गांठ चिपस खिला दी।

डंपर और कार की भिड़ंत में 4 की मौत

6 साल की बच्ची भर्ती



बाराबंकी। थाना मसौली क्षेत्र अंतर्गत भूलभुलपुरिया के पास डंपर और ऑल्टो की जोरदार आमने-सामने टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई। जबकि एक 6 वर्षीय बच्ची समेत दो लोग घायल हो गये।प्राप्त जानकारी के अनुसार डंपर संख्या यू0पी 28

जीबी 9563 ने ऑल्टो कार संख्या यू0पी 32 सीडी 0221 को जोरदार टक्कर मार दी।हादसे के समय कार में कुल 5 लोग सवार बताये जा रहे है। जिसमे 3 लोग कार के अंदर बुरी तरह फंस गये। जिनको स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला।लेकिन जब तक 3 की

रुचि के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें युवा : सत्यप्रकाश युवा संवाद कार्यक्रम का जीजीआईसी में हुआ आयोजन

ललितपुर। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने आज मंगलवार को राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के सभागार में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की छात्राओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान छात्राओं ने कैरियर, शिक्षा, आत्मविश्वास, साइबर, जीवन के लक्ष्य तथा रोजगार सहित विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल जिलाधिकारी के समक्ष रखें, जिनकों जिलाधिकारी ने सहजता और सारगर्बित उत्तर देते हुए छात्राओं का मार्गदर्शन किया।जिलाधिकारी ने कहा कि जब प्रशासन और युवा एक मंच पर आकर संवाद करते हैं तो यह केवल प्रश्न और उत्तर का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि युवाओं के सपनों और प्रशासन के संकल्प के बीच एक सशक्त सेतु बनता है, ऐसे संवादों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत इबारत लिखी जाती है। उन्होंने



छात्राओं को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य, सकारात्मक सोच, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और स्पष्ट लक्ष्य को आवश्यक बताते हुए अपराध, जीवन के लक्ष्य तथा रोजगार सहित विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल जिलाधिकारी के समक्ष रखे, जिनकों जिलाधिकारी ने सहजता और विस्तार से उत्तर देते हुए छात्राओं का मार्गदर्शन अनुरूप अपने क्षेत्र का चयन करें।

कार्यक्रम में इण्टरमीडिएट विज्ञान व कला वर्ग की छात्राएं मेधा, दीपिका, नन्दनी, अनुष्का, पलक राजपूत, मेधा परिहार, अंशिका, नन्दनी ने कैरियर, शिक्षा, आत्मविश्वास, साइबर अपराध, जीवन के लक्ष्य तथा रोजगार सहित विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल जिलाधिकारी के समक्ष रखे, जिनकों जिलाधिकारी ने सहजता और विस्तार से उत्तर देते हुए छात्राओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान

14 अभ्यर्थियों को सौंपे गये नियुक्ति पत्र



ललितपुर। उत्तर प्रदेश शासन एवं कृषि विभाग के निदेशानुसार जनपद ललितपुर में नवचयनित प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को विकास भवन सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष केशाश नारायणनिरंजन रहे।कार्यक्रम में राज्य मंत्री के प्रतिनिधि चन्द्रशेखर पंथ, एम.एल.सी. प्रतिनिधि केदारनाथ तिवारी, सदर विधायक प्रतिनिधि श्रीकान्त कुशवाहा (उप सभापति, जिला सहकारी बैंक) रहे। कार्यक्रम का संचालन सन्दीप खरे, वरिष्ठ सहायक, कृषि विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम

लखनऊ से आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के उद्बोधन एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को सुनकर किया गया। इसके उपरान्त जनपद स्तरीय कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी रंजीत कुमार चैरसिया द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की भर्ती में जनपद ललितपुर के लिए कुल 14 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 13 महिला अभ्यर्थी एवं 01 पुरुष शामिल हैं। इसके पश्चात नवचयनित अभ्यर्थियों प्रिंसी सिंह, आयुषी शर्मा, आकृति नायक, सुरभि, सुश्री अंजली राजपूत, तपस्पा तिवारी, राहुल कुमार

त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक



इटावा। जिलाधिकारी शुभान्त कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में, रक्षाई ईद-उल-मिलाद बारावफात, त्यौहार व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि की तैयारियों एवं कानून व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पोस्टमार्टम स्थित नवीन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सभी धर्म के गुरुओं, महन्तो एवं मौलवियों

तथा नागरिकों आदि ने अपनी- अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की।जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में जिला प्रशासन सदैव तत्पर रहेगा। उन्होंने जनपद वासियों से ईद-उल-मिलाद, रक्षाबंधन एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। जिलाधिकारी ने त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी

वॉयस ऑफ लखनऊ 09

यूपी 41 टैटू गुदवाकर परिवार को सुरक्षित करने की जरूरत: सुरेश चंद्र गौतम



बाराबंकी। कम याददाश्त और मूक बधिरो के हाथ पर यू0पी 41 गुदवाने की मुश्मिल चलाने वाले धर्मजागरण धाम संस्था संयोजक अमित अवस्थी के नेतृत्व मे बसपा पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चन्द्र गौतम ने अपने मूक बधि़र पुत्र अखिल कुमार गौतम के हाथ पर यू0पी 41-2 गुदवाया। इस सम्बन्ध मे बसपा पूर्व जिलाध्यक्ष श्री गौतम ने आमजन से अपील करते हुये कहा कि यदि हमारे घर परिवार में कोई इस प्रकार का व्यक्ति है तो हमें झिझक छोड़कर उसे सुरक्षित करने के लिए तत्काल धर्मजागरण धाम संस्था से सम्पर्क करना चाहिये। जिससे नि:शुल्क नया नंबर पीडित के हाथ पर अंकित कराया जा सके।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने की मुहर्रम व बज्मे रहमत कमेटी के साथ बैठक



बाराबंकी। जशन-ए-ईद-मिलाद-उन-नबी को शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने को लेकर सिटी चैकी पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सुधीर कुमार सिंह ने मुहर्रम कमेटी, बज्मे रहमत कमेटी, समस्त व्यापार मंडलो के साथ बैठक की। बैठक मे प्रभारी निरीक्षक शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही त्यौहारो को मनाने एवं कोई नई परम्परा न शुरू किये जाने को लेकर निर्देशित किया। तो वही कमेटी ने सभी से अपील करते हुये टूक-डीसीएम जैसी बड़ी गाड़ी, डीजे जुलूस में न लेकर आने की अपील की। उन्होंने आगे बताया कि 25 अगस्त को रात्रि रोशनी व 26 को फजलुर्रहमान पार्क से जुलूस ए-मोहम्मदी समय दोपहर 2:30 बजे निकाला जाएगा। इस मौके पर सिटी चैकी प्रभारी संजीव प्रकाश सिंह, मो सलमान सल्लू, हाजी उसामा अंसारी, ताज बाबा राईन, किसान नेता फैसल मलिक, शुभव राईन, रईस अंसारी, जबीरुल हक अंसारी, बज्मे रहमत सदर अब्दुल हक आदि मौजूद रहे।

जागरूकता कार रैली को जनपद न्यायाधीश ने किया रवाना

बाराबंकी। आगामी 12 सितम्बर राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आमजन को लोक अदालत के महत्व के प्रति जागरूक करने को लेकर जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने जागरूकता कार रैली को हीरि झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी अल्पना सक्सेना, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय वन्दना, अपर जिला जज व नोडल अधिकारी लोक अदालत श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव उज्ज्वल उपाध्याय मौजूद रहे।

बकाया नगरीय करों के निस्तारण के लिए लाकू है ओटीएस योजना: डीएम



बाराबंकी। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लांबित संपीत किए, जलकर एवं अन्य के प्रभावी एवं समयवद्ध निस्तारण के लिए शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस लाकू की गई है। यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित की जायेगी। योजना के अंतर्गत पात्र करदाताओं को अपने लांबित नगरीय कर बकाये के निस्तारण का अवसर मिलेगा। उक्त जानकारी देते हुये जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि योजना अवधि में 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक नगरीय निकायों द्वारा हितबद्ध पक्षों को सूचित करने की आवश्यकति निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षों द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक किए जा सकेंगे। इस अवधि के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार अंतिम रूप से निस्तारण 15 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। करदाताओं की सुविधा के लिए सम्बन्धित नगर निकाय कार्यालय में ओटीएस सहायता एवं पंजीकरण केंद्रों के माध्यम से आवेदन, पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

चकबंदी अधिकारी, तीन लेखपालों सहित अन्य पर जमीन हड़पने और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने पर मुकदमा दर्ज

ललितपुर। जमीन के फर्जी बैनामे, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने तथा राजस्व एवं चकबंदी विभाग के कर्मचारियों को कथित मिलीभगत से भूमि पर कब्जा कराने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने हड़ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में घोखाघड़ी, आपराधिक साजिश और धमकी समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ग्राम मसौराकलां निवासी जयप्रकाश तिवारी की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी पारिवारिक आराजी संख्या 353/3, जिसका राजस्व रु.3.16 हेक्टर है, का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित किया गया था। अधिग्रहित भूमि का मुआवजा और बैनामा होने के बाद शेष भूमि संबंधित भाइयों के हिस्से में रह गई थी। आरोप है कि राकेश पुत्र सत्यनारायण निवासी मसौराकलां को भूमि की वास्तविक तिथिति की गलत तरीके से लक्ष्मीपुरा निवासी निर्मल कुमार जैन पुत्र लक्ष्मीचंद्र जैन के पक्ष में बैनामा कर दिया। शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की थी। शिकायत के मुताबिक, उपजिलाधिकारी के आदेश पर भूमि की पैमाइश के लिए राजस्व और चकबंदी विभाग के कर्मचारियों की टीम गठित की गई। आरोप है कि पैमाइश के दौरान संबंधित कर्मचारियों ने निर्मल कुमार जैन से कथित सांठगांठ कर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरातल पर गलत पैमाइश की तथा खड़ी फसल में चूना डालकर भूमि पर कब्जा दिलाने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने जब इस कार्रवाई का विरोध किया तो उसे पुलिस का भय दिखते हुए जेल भिजवाने की धमकी भी दी गई। मामले में शिकायतकर्ता ने पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में राकेश, निर्मल कुमार जैन, जमनेजय सक्सेना (सहायक चकबंदी अधिकारी, बिरारी), अनिल श्रीवास्तव (राजस्व निरीक्षक, जाखलोन), दीनदयाल मिश्रा (राजस्व लेखपाल, मसौराकलां) तथा आशीष शर्मा (लेखपाल चकबंदी, मसौराकलां) को नामजद किया गया है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 318(4) , 61(2) , 351 समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

डीएम ने निर्माण कार्यों की समीक्षा

इटावा। जिलाधिकारी शुभान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कार्यवाही संस्थाओं एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने कहा कि जनपद में जो परिशोधन अप्राप्ति पर हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। उन्होंने अधिकांश परियोजनाओं को सितंबर-अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद के जिला कारागार में चंडाप 2 के 18 नाग का निर्माण कराया जाए साथ ही कारागार में 16 क्षमता की डोरमेट्री का निर्माण नवंबर तक पूर्ण कराया जाए।

